प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 28.05.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 59/26 धारा 115(2)/352/351(3)/131/191(2)/191(3)/109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

सक्षिंप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2026 को थाना रमाला पर वादी श्री रामवीर सिंह पुत्र कालूराम, हरबीर पुत्र कालूराम, अन्तिम नि0गण ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. सुरेन्द्र पुत्र सुरत सिंह, 2.मनोज पुत्र सुरेन्द्र, 3.सुनील पुत्र सतपाल, 4.आशीष पुत्र सुनील, 5.अनिल पुत्र सतपाल निवासीगण ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा वादी एवं उसके परिवारजनो के साथ लाठी डण्डो, दांती आदि से मारपीट करना, गाली गलौच देना, जान से मारने की धमकी देते हुए हमला करना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 59/26 धारा 115(2)/352/351(3)/131/191(2)/191(3)/109(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 59/26 धारा 115(2)/352/351(3)/131/191(2)/191(3)/109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मनोज पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1-उ0नि0 मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
2-उ0नि0 प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत।
3-रि0आ0 452 पंकज चाहर थाना रमाला जनपद बागपत।
4-रि0आ0 524 मनोज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 28.05.2026**

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-हन्नान पुत्र हासिम निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

2-खालिद उर्फ काला पुत्र एजाज अली निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर।
- 02 कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त हन्नान का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0624/2023 धारा 392, 411 भादवि व 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कांधला शामली

2- मु0अ0सं0 273/2023 धारा 380, 411 भादवि थाना रमाला बागपत

3- मु0अ0सं0 103/2026 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना रमाला बागपत

गिरफ्तार अभियुक्त खालिद का आपराधिक इतिहास-

1- 624/2023 धारा 392, 411 भादवि व 25, 3 आयुद्ध अधि0 थाना कांधला जनपद शामली

2- 123/2020 धारा 3, 5, 8 गौवध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत

3- 14/2019 धारा 380 भादवि थाना रमाला बागपत

4- मु0अ0सं0 104/2026 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना रमाला बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

3-है0का0 819 दोसेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

4-है0का0 753 संदीप थाना रमाला जनपद बागपत।

5-रि0का0 179 ऋषभ कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

6-रि0का0 602 वेदांत थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 28.05.2026

थाना कोवताली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 345/26 धारा 305/317(2)/352/351(2) बी.एन.एस व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया गया कूलर का स्टैण्ड व घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही

दिनांक 28.05.2026 को वादी मोहित शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा कूलर का स्टैण्ड चोरी कर ले जाते समय मौके से अभियुक्त शान मौहम्मद पुत्र बाबू निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष मय चाकू के पकडा गया जिसको वादी द्वारा जनता की मदद से पकडकर थाना कोतवाली बागपत पर लाया गया। थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी किया कूलर का स्टैण्ड व एक चाकू बरामद किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 345/26 धारा 305/317(2)/352/351(2) बी.एन.एस व 4/25 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शान मौहम्मद पुत्र बाबू निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- कूलर का स्टैण्ड (चोरी किया)

* एक चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-का0 819 सोनू कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
2-क0आ0 वरूण शर्मा थाना बागपत जनपद बागपत।
3- रि0का0 554 आकाश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 28.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 346/26 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/125/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.26 को थाना कोतवाली बागपत पर आवेदक आदिल पुत्र युसुफ निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- शकील पुत्र यासीन 2- मुस्तफा पुत्र शकील 3- शन्नो पत्नी शकील 4- आकिल पुत्र इमरान निवासीगण मौहल्ला मुगलपरा कस्बा बागपत द्वारा आवेदक के भाई के साथ लाठी डंडो व चाकू से सिर पर वार करना तथा अभियुक्त मुस्तफा द्वारा अपने हाथ मे लिए तमंचे से फायर करना तथा अभियुक्त शकील व आकिल द्वारा आवेदक के भाई के सिर पर चाकू से वार करना जिससे सिर पर गंभीर चोट आना व आवेदक के भाई का बेहोश हो जाना तथा पथराव करना, अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर आवेदक व आवेदक के परिवारजन को गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देना। इस

सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 346/26 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/125/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 346/26 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/125/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शकील पुत्र यासीन उम्र 43 वर्ष निवासी मौहल्ला गायत्रीपुरम मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 179 अमित कुमार थाना बागपत जनपद बागपत

3-का0 379 अखिलेश शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 28.05.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 192/26 धारा -65(1) बीएनएस व 3/4(2)पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 192/26 धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2)पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुहैल पुत्र सिराज निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.नि0अ0श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

2-उ0नि0श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-का0711 विपिन भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।